संख्या- 11/2016/एस-3-135/दस-2016-ब(5)/2014

प्रेषक,

राज रतन
उप सचिव
उ0प्र0शासन

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार,उत्तर प्रदेश,
1018-जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2016

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-63 के अर्न्तगत मानक मद-46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय तथा मानक मद-47 कम्प्यूटर अनुरक्षण के लिए भुगतान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- 4077/2 (दो) 2015-2016/ को0नि0 / बजट दिनांक 04-03-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोषागारों में स्थापित कम्प्यूटरों में ओरेकल साफ्टवेयर के रिन्यूवल,प्रदेश के कोषागार कार्यालयों में वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध के भुगतान हेतु बैटरी आदि के बिलों एवं पेपर, रिबन, कार्टिज के दामों में वृद्धि होने के कारण भुगतान मद में धनराशि अपर्याप्त होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय संलग्न पुनर्विनियोग आदेश संख्या-आर0ई0-686 दिनांक 28-03-2016 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-63 के लेखाशीर्षक "2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-097-03-मुख्य" के मानक मद -01-वेतन में होने वाली बचतों से इसी लेखा शीर्षक के मानक मद -46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय के लिए भुगतान में पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 59,00,000/- तथा मानक मद-47 कम्प्यूटर अनुरक्षण में व्यय के लिए भुगतान मद में रू0 40,00,000/- अर्थात कुल रू0 99,00,000/- (रू0 निन्यानवे लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- कृपया उक्त मद में व्यय उक्त सीमा तक ही सीमित रखा जाय ।

संलग्नक- यथोक्त ।

भवदीय,

(राज रतन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-11/2016 /एस-3-135(1)/दस-2016-ब(5)/2014-तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रपत्र बी0एम0 - 9 की प्रति सहित ।

2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)आडिट उ0प्र0, इलाहाबाद की प्रति सहित ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को प्रपत्र बी0एम0-9 की प्रति सहित ।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2(बी. एम. 9, तीन प्रतियो में)

5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1

6- गार्ड फाईल ।

संलग्नक- यथोक्त ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी0एम0 -9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

वित्तीय वर्ष, 2015-16 (धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान संख्या-63, बजट नियंत्रक- निदेशक कोषागार उत्तर प्रदेश

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान /विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन 00-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य-00-01-वेतन	900000	256654	9900	9900	890100
योग	900000	256654	9900	9900	890100

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त् विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2054-खजान तथा लेखा प्रशासन-00-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य-00-46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	24000	29900	5900	5900	29900
2054-खजान तथा लेखा प्रशासन-00-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य-00-47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	35000	39000	4000	4000	39000
योग	59000	68900	9900	9900	68900

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का विवरण निम्नानुसार है :-

कोषागारों में कार्मिको के सेवानिवृत्त होने के कारण वेतन मद में होने वाला व्यय कम है ।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

1. ओरेकल साफ्टवेयर के रिन्यूवल हेतु रू0 27600 हजार की आवश्यक्ता है। वर्तमान में लगभग रू0 21700 हजार का बजट अवशेष है, एवं रू0 5900 हजार की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यक्ता है, जिसके लिए रू0 5900 हजार का पुनर्विनियोग प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।

2. प्रदेश के कोषागारों कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर/ उपकरणों एवं लीज लाइन के वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध के भुगतान हेतु एवं बैटरी आदि के बिलों के भुगतान हेतु रू0 3000 हजार की एवं कोषागार कार्यालयों में पेपर, रिबन, कार्टिज के दामों में वृद्धि होने के कारण रू0 1000 हजार की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यक्ता है, जिसके लिए कुल रू0 4000 हजार का पुनर्विनियोग प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-686 दिनांक-28-03-2016
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तर प्रदेश ,इलाहाबाद।

(राज रतन)
उप सचिव

(राज रतन)
उप सचिव

संख्या- 11/2016/एस-3-135/दस-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियो में)
5- अनुभागीय गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।